

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

प्रस्तावना- गरीबी एक ऐसी स्थिति है, जिसे कोई भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होगा 1.3 बिलियन से भी अधिक लोक दुनिया में गरीबी का जीवन जी रहे हैं। और इनमें से अधिकांशतः ग्रामीणों क्षेत्रों में निवास करते हैं। गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में असमर्थ रहता है। आज दुनियाभर में 80 करोड़ लोग अब भी निपट गरीबी की हालत में जी रहे हैं। हर पाँच में से एक व्यक्ति प्रतिदिन 1.25 अमरीकी डॉलर से भी कम में गुजारा कर रहा है। ऐसे में निपट गरीबी हमारे दौर का एक सबसे तात्कालिक संकट बन गई है। 1990 के बाद से निपट गरीबी में जीते लोगों की संख्या में आधे से अधिक की गिरावट आई है, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना है। लाखों लोग प्रति दिन 1.25 अमरीकी डॉलर से कुछ अधिक पर गुजारा कर रहे हैं और उससे कहीं अधिक संख्या में लोगों के वापस गरीबी के गर्त में गिर जाने की आशंका है, युवाओं की स्थिति विशेषकर लाचारी की है। कुल कामकाजी वयस्का आबादी में से 10.2% 2015 में प्रति दिन 1.9 अमरीकी डॉलर की वैश्विक गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे, किंतु जब हम 15-24 वर्ष के आयु वर्ग पर नज़र डालते हैं तो ये अनुपात 16% हो जाता है। बच्चे भी वैश्विक गरीबी के शिकार हैं। हर दिन 18,000 बच्चे गरीबी से जुड़े कारणों से मरते हैं। हमारे देश में आर्थिक, उदारीकरण शुरू हुए लगभग 28 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन करीब 33 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने के लिये मजबूर हैं। गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति जीवन यापन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी जरूरतों में शामिल हैं – भोजन, कपड़े और मकान। गरीबी एक भ्रामक जाल बन जाती है जो धीरे-धीरे समाप्त होती है एक परिवार के सभी सदस्यों के लिए। अत्यधिक गरीबी अंततः मृत्यु की ओर जाता है। भारत में गरीबी अर्थव्यवस्था, अर्द्ध-अर्थव्यवस्था और परिभाषाओं के सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए परिभाषित की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार तैयार की जाती हैं। भारत खपत और आय दोनों के आधार पर गरीबी के स्तर को मापता है। खपत को उस धन के कारण मापा जाता है जो आवश्यक वस्तुओं पर घर से खर्च होता है और आय एक विशेष परिवार द्वारा अर्जित आय के हिसाब से गिना जाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण अवधारणा का उल्लेख किया जाना चाहिए जो गरीबी रेखा की अवधारणा है। यह गरीबी रेखा भारत में गरीबी को मापने का काम करती है। एक गरीबी रेखा को अनुमानित न्यूनतम स्तर की आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि एक परिवार को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। गरीबी सिर्फ आमदनी या संसाधनों की सुलभता का अभाव नहीं है। यह शिक्षा के लिए घटते अवसरों, सामाजिक भेदभाव और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने की अक्षमता के रूप में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए विकासशील देशों में सबसे गरीब परिवारों के बच्चों के स्कूल में पढ़ने की संभावना सबसे अमीर परिवारों के बच्चों की तुलना में चार गुणा कम है। किंतु निपट वंचना का सवाल केवल खुशहाली और अवसरों तक सीमित नहीं है, ये जीवित रह पाने का सवाल भी है। लैटिन अमरीका और पूर्वी एशिया में 5 वर्ष

की आयु तक पहुँचते-पहुँचते सबसे गरीब बच्चों की मृत्यु की आशंका सबसे अमीर बच्चों की तुलना में तीन गुणा अधिक है।

गरीबी का आशय:- सामान्य अर्थ में जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं आपूर्ति से वंचित रहता है जैसे, व्यक्ति की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं- रोटी, कपडा और मकान। जब वह इन तीनों जरूरतों से वंचित रहता है तो वह गरीब कहलाता है। भारत में गरीबी को मापने के लिए समय समय पर अनेक मत प्रचलित रहे हैं लेकिन सबसे व्यवहारिक एवं प्रसिद्ध मत न्यूनतम उपभोग के स्तर को माना गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए मिलना ही चाहिए इसकी परिभाषा भारतीय योजना ने इस प्रकार की है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन निर्धारित की गई है। भारत में समय-समय पर गरीबी को ज्ञात करने के प्रयास होते रहे हैं, 1960 के दशक में दाण्डेकर एवं रथ, मिन्हास व आहलूवालिया और प्रणव वर्धन आदि ने अपने अनुमान प्रस्तुत किये हैं। ये सभी अनुमान ग्रामीण क्षेत्र को ही ध्यान में रखकर ही तैयार किये गये हैं।

ग्रामीण भारत में गरीबी की व्यापकता का अनुमान 1967-68 (ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत) अनुमानकर्ता गरीबी का प्रतिशत बी.एस. मिन्हास 37.1, पी.के. वर्धन 54.0, एम.एस. आहलूवालिया 56.5, वी.एम. दाण्डेकर एवं रथ 40.0, (स्रोत:- आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15)। 1973-74 से 1998 की अवधि में गरीबी को उपभोक्ता व्यय को आधार माना गया। गरीबी को ज्ञात करने के लिए एन.एस.एस.ओ. के 61 वे चक्र के आंकड़े यूनीफार्म रिकाल पीरियड (न्च) एवं मिश्रित रिकाल पीरियड (डत्व) व्यवस्था पर आधारित है। यूआरपी के अंतर्गत 30 दिन के रिकाल अवधि में सभी उपभोग मदों के लिए उपभोक्ता व्यय को शामिल किया जाता है, और एमआरपी के अन्तर्गत पांच और खाद्य मदों वस्त्र, जूता, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा एवं संस्थागत मेडीकल व्यय 365 दिन की अवधि के लिए तथा शेष मदों के लिए उपभोग व्यय 30 दिवसीय रिकाल अवधि से एकत्रित किये जाते हैं, इस आधार पर भारत में 21.8 प्रतिशत लोग गरीब हैं, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 21.8 प्रतिशत, 21.7 प्रतिशत है। योजना आयोग के इन आंकड़ों के अनुसार 2009-10 में देश में निर्धनों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र रहे हैं, जबकि निर्धनता अनुपात की दृष्टि से पहले तीन स्थान क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़ एवं मणिपुर का है। केन्द्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुमान न्यूनतम अण्डमान निकोबार में 0.4 प्रतिशत, पुदुचेरी में 1.2 प्रतिशत व लक्षद्वीप में 6.8 प्रतिशत है। राज्यों में क्रमशः गोआ (8.7 प्रतिशत) जम्मू काश्मीर (9.4 प्रतिशत) व हिमाचल प्रदेश (9.5 प्रतिशत) पर हैं।

देश में अलग अलग सामाजिक समूहों के अनुसार निर्धनता अनुपात योजना आयोग के आंकड़ों में भी बताया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति में निर्धनता अनुपात सर्वोच्च 47.4 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति में यह 42.3 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग में यह 31.9 प्रतिशत है। वहीं शहरी क्षेत्रों में सर्वोच्च 34.1 प्रतिशत निर्धनता अनुपात अनुसूचित जाति का है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति में 30.4 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग में 24.3 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।

भारत में गरीबी के कारण (Causes of Poverty in India) - भारत में मौजूदा गरीबी का एक प्रमुख कारण देश की मौसम की स्थिति है। गैर-अनुकूल जलवायु खेतों में काम करने के लिए लोगों की क्षमता कम करती है। बाढ़, दुर्घटनाएं, भूकंप और चक्रवात उत्पादन को बाधित करते हैं। जनसंख्या एक अन्य कारण है जो

गरीबी का मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को कम करती है। इसके अलावा, एक परिवार का आकार बड़ा, कम प्रति व्यक्ति आय है। भूमि और संपत्ति का असमान वितरण एक और समस्या है जो किसानों के हाथों में ज़मीन की एकाग्रता को समान रूप से रोकता है।

गरीबी का प्रभाव (Effect of Poverty in India) - यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हालांकि अर्थव्यवस्था ने पिछले दो दशकों में प्रगति के कुछ संकेत दिखाई दिए हैं। परन्तु यह प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में असमान है। बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में गुजरात और दिल्ली में विकास दर अधिक है। आबादी के लगभग आधे लोगों में उचित आश्रय नहीं है, सभ्य स्वच्छता प्रणाली के पानी स्रोत गांव में मौजूद नहीं है, और हर गांवों में एक माध्यमिक विद्यालय और उचित सड़कों की कमी आज भी भरी मात्र में है।

भारत में गरीबी के बारे में तथ्य (Facts about Poverty in India) - 1947 में, भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की ब्रिटिश प्रस्थान के समय इसकी गरीबी दर 70 प्रतिशत थी। भारत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उच्चतम आबादी वाला देश है। आज, भारत में गरीबी दर 27 प्रतिशत है, जो 2009 में 31.1 प्रतिशत थी। 2016 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.3 अरब थी। एक अविकसित अवसंरचना और चिकित्सा क्षेत्र तक समान पहुंच में बाधा डालता है। विकसित शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के पास चिकित्सा ध्यान प्राप्त करने का एक उच्च मौका है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में बीमार होने का जोखिम कम है। भारत की ग्रामीण आबादी के 20 प्रतिशत से कम लोगों को साफ पानी मिल रहा है। कम पानी के कारण पानी की स्थिति वायरल और जीवाणु संक्रमण दोनों के प्रसार को बढ़ाती है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अनुसार, एशिया में विकास के एक मजबूत समर्थक, 2016 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.1% की वृद्धि हुई। एशियाई विकास बैंक ने 1986 में बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास के साथ भारत सरकार की सहायता करना शुरू किया।

निम्नलिखित चार तथ्यों ने 2016 में एडीबी और भारत द्वारा शुरू की गई संयुक्त परियोजनाओं से 2016 की सफलता पर प्रकाश डाला। एशियाई विकास बैंक की मदद से, 344 मिलियन घरों में या तो पानी का शुद्ध उपयोग या पहुंच प्राप्त हो गया है ताकि सिंचाई, जल उपचार, और स्वच्छता में निवेश में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 744,000 घरों में अब बाढ़ के कारण जोखिम नहीं है। स्वच्छताआर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत और एडीबी ने 26,909 किमी की सड़कों का निर्माण किया है या देश के बाहर सुधार किया है, जिसमें से 20,064 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिससे ग्रामीण आबादी में अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ रही है। एडीपी से वित्तपोषण के लिए धन्यवाद, भारत सरकार 2010 से 606,174 किफायती आवासों का निर्माण कर पाई है। नए घरों को जोड़ने और पुराने ढांचे को सुधारने के लिए, 24,183 किलोमीटर की बिजली लाइनें लटकाई या रखी गईं, जबकि भारत का कार्बन पदचिह्न 992,573 टन सीओ₂ से घट रहा है। एडीबी के स्वतंत्र, भारत सरकार सार्वभौमिक बुनियादी आय कार्यक्रम का परीक्षण करने पर विचार कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से खर्च करने के लिए 7620 भारतीय रुपये (113 डॉलर) प्राप्त होंगे, हालांकि वे चुनते हैं। काला बाजार भ्रष्टाचार से निपटने और टैक्स अनुपालन में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार ने 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये नोटों को समाप्त करने का फैसला किया। सभी नोट्स को समय सीमा के भीतर जमा किया जाना था, और शेष नोटों को कानूनी निविदा नहीं माना जाता है।

भारत में गरीबी धीरे-धीरे है लेकिन निश्चित रूप से कम हो रही है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक योजना गरीबी से पीड़ित लोगों को लाभकारी रहेगी। एडीबी से सरकार द्वारा निवेश किए गए निधियों के उपयोग की सफलता में इसका सबूत देखा जा सकता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था और जिम्मेदार सरकार के साथ, भारत में गरीबी कम हो रही है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ मानवीय संसाधनों की भी बहुलता है। भारत का अधिकांश मानवीय संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। आज भी भारत की विश्व में पहचान इसके गांवों में बसने वाले लोगों से होती है। अतः यह निर्विवाद रूप से कहीं जा सकता है कि भारत का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब इसके गावों का विकास हो, अर्थात् विकास की पहली प्राथमिकता ग्रामीण विकास है। ग्रामीण जनों के विकास के लिये हमें उनकी आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति उनकी संस्कृति मानसिकता आवश्यकता स्थानीय संसाधन, कौशल व तकनीकी की जानकारी होना जरूरी है। आबादी का दो तिहाई हिस्सा जो मुख्यतया गांवों में निवास करता है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है, लेकिन गलत नियोजन नीति के कारण हो रहे आर्थिक विकास के साथ-साथ गरीब एवं अमीर आदमी के बीच का अन्तर कम होने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है। गरीबी और बेरोजगारी भारत जैसे देश के लिये अभी भी बहुत बड़े अभिशाप हैं। इन्हें दूर करने के तमाम संगठित और सुनियोजित प्रयासों के बावजूद हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग इन समस्याओं से अभी भी निजात नहीं पा सका है। दुखद स्थिति तो यह है कि हमारे देश की 27 प्रतिशत से भी अधिक आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। जिसे दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होती गाव की स्थिति पर यदि बारीकी से विचार करें तो हम पाएंगे कि कुछ अभागे तो आज भी अपने सामान्य जीवन-यापन के लिये साहूकारों से कर्ज लेते हैं। जिस पर उन्हें 60 प्रतिशत से लेकर 120 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज चुकाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बेचारा गरीबी के बोझ से और भी पिसता जाता है तथा वह गरीबी के दुष्चक्र से छूटने के लिये लाख प्रयास करने के बावजूद उसके जाल में जकड़ता जाता है।

भारत में गरीबी उन्मूलन की सरकारी योजनाएं (Government schemes for poverty eradication in India) - गरीबी के बारे में चर्चा करते हुए भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसे सबसे आगे लाने की जरूरत है कि गरीबी के अनुपात में जो भी मामूली गिरावट देखी गई है, वह सरकार की पहल की वजह से हुई है, जिसका उद्देश्य लोगों को गरीबी से उत्थान करना है। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों के लिए लक्षित है या नहीं। अधिकांश कार्यक्रम ग्रामीण गरीबी को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रसार अधिक है। गरीबी को लक्षित करना ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न भौगोलिक और बुनियादी ढांचे की सीमाओं के कारण चुनौतीपूर्ण है। कार्यक्रमों को मुख्य रूप से समूहित किया जा सकता है -

- 1) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम
- 2) स्व-रोजगार कार्यक्रम
- 3) खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम
- 4) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

5) शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

यह इस तरह विस्तृत रूप में मिलता है -

1. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) - जवाहर रोजगार योजना (JRE) का पुनर्गठित, सुव्यवस्थित और व्यापक संस्करण है। यह 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास था। गांव को विभिन्न क्षेत्रों में जोड़ने के लिए सड़कों की तरह बुनियादी ढांचा, जिसने गांव को और अधिक सुलभ और अन्य सामाजिक, शैक्षिक (school) और अस्पतालों जैसे बुनियादी ढांचे को बनाया। इसका द्वितीयक उद्देश्य निरंतर वेतन रोजगार देना था। यह केवल बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को दिया गया था और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं और अक्षम लोगों के लिए बाधा मुक्त बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए 3% खर्च किया जाना था। गांव पंचायत इस कार्यक्रम के मुख्य शासी निकाय में से एक थे। रुपये 1841.80 करोड़ का इस्तेमाल किया गया था और उनके पास 8.57 लाख कार्यों का लक्ष्य था। 1999-2000 के दौरान 5.07 लाख कार्य पूरे किए गए।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) 2005 - एनआरईजीए बिल 2005 में अधिसूचित हुआ और 2006 में लागू हुआ और इसे 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के रूप में संशोधित किया गया। यह योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों को भुगतान के 150 दिनों के 150 दिनों की गारंटी देती है। यह योजना भारतीय ग्रामीण आबादी की आय में एक बड़ा बढ़ावा साबित हुई है। मांग पर रोजगार प्रदान करके मजदूरी के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और परिवारों को हर साल विशिष्ट गारंटीकृत मजदूरी के रोजगार के लिए, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैन्युअल काम करने के लिए स्वयंसेवक हैं, जिससे लोगों को सुरक्षा नेट बढ़ाया जाता है और साथ ही गरीबी के कुछ पहलुओं को कम करने के लिए टिकाऊ संपत्तियां मिलती हैं और ग्रामीण इलाकों में विकास के मुद्दे को संबोधित करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। यह राज्यों और केंद्रीय परिषद को समय पर और पर्याप्त संसाधन समर्थन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसे प्रक्रियाओं और परिणामों की नियमित समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन करना पड़ता है। यह एमआईएस को कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर डेटा कैप्चर और ट्रैक करने और प्रदर्शन संकेतकों के एक सेट के माध्यम से संसाधनों के उपयोग का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। एमआरडी उन नवाचारों का समर्थन करेगा जो अधिनियम के उद्देश्यों की उपलब्धि की दिशा में प्रक्रियाओं में सुधार करने में मदद करते हैं। यह प्रक्रियाओं की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के उपयोग का समर्थन करेगा जनता के साथ इंटरफेस। यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी स्तरों पर एनआरईजीए के कार्यान्वयन को पारदर्शी और जनता के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, अब 100 से 150 दिन सभी के लिए काम उपलब्ध कराया जाता है। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में से एक है।

3. प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना(Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana) - इस योजना का लक्ष्य सभी के लिए आवास बनाना है। इसकी शुरुआत 1 9 85 में हुई थी। इसका लक्ष्य 20 लाख आवास इकाइयों को बनाना था, जिनमें से 13 लाख ग्रामीण इलाके में थे। यह योजना घर बनाने के लिए सब्सिडी दरों पर लोगों को ऋण भी देगी। यह 1 999 -2000 में शुरू किया गया था। 1 999 - 2000 में, इस योजना के लिए 1438.3 9 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया था और लगभग 7.98 लाख इकाइयां बनाई गई थीं। 2000-01 में इस योजना के लिए 1710.00 करोड़ रुपये का केंद्रीय व्यय प्रदान किया गया था।
4. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) (Integrated Rural Development Program(IRDP) - भारत में आईआरडीपी गरीबी को कम करने के लिए गरीबी को कम करने के लिए दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है जो गरीबों को आय उत्पन्न संपत्ति प्रदान करता है। इस कार्यक्रम को पहली बार कुछ चयनित क्षेत्रों में 1 978-79 में पेश किया गया था, लेकिन नवंबर 1 9 80 तक सभी क्षेत्रों को कवर किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना (1 980-85) के दौरान 47.6 अरब रुपये की संपत्ति लगभग 16.6 मिलियन गरीब परिवारों को वितरित की गई थी। 1 9 87-88 के दौरान, 4.2 मिलियन परिवारों को प्रति परिवार 4,471 के औसत निवेश या समग्र रूप से 1 9 अरब रुपये के कुल निवेश के साथ सहायता मिली थी।

आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्व-रोजगार के लिए सतत अवसरों के निर्माण से गरीबी रेखा से नीचे लक्षित लक्षित समूह के परिवारों को उठाना है। सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाती है और वित्तीय संस्थानों (वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) द्वारा उन्नत अवधि का क्रेडिट किया जाता है। कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉक में लागू किया जाता है क्योंकि केंद्रीय प्रायोजित योजना 50:50 आधार पर वित्त पोषित होती है। केंद्र और राज्यों। आईआरडीपी के तहत लक्षित समूह में छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर होते हैं जिनकी वार्षिक आय रु। आठवीं योजना में 11,000 गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम के तहत लाभ समाज के अधिक कमजोर क्षेत्रों तक पहुंच जाए, यह निर्धारित किया जाता है कि कम से कम 50 प्रतिशत सहायता प्राप्त परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संसाधनों के समान प्रवाह के साथ होना चाहिए। इसके अलावा, कवरेज का 40 प्रतिशत महिला लाभार्थियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का 3 प्रतिशत होना चाहिए। जमीनी स्तर पर, ब्लॉक कर्मचारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) राज्य स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी करती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार मंत्रालय, धन के केंद्रीय हिस्से, नीति निर्माण, समग्र मार्गदर्शन, निगरानी और मूल्यांकन के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है।

5. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) National Family Benefit Scheme (NFBS) - यह योजना अगस्त 1 99 5 में शुरू हुई थी। यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसे 2002-03 के बाद राज्य क्षेत्र की योजना में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह समुदाय और ग्रामीण विभाग के

अधीन है। यह योजना परिवार के एक व्यक्ति को 20000 रुपये प्रदान करती है जो अपने प्राथमिक ब्रेडविनर की मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया बन जाती है। ब्रेडविनर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 18 वर्ष से ऊपर है जो परिवार के लिए सबसे अधिक कमाता है और जिसकी आय पर परिवार रहता है।

6. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (National Maternity Benefit Scheme) - यह योजना तीन किस्तों में एक गर्भवती मां को 6000 रुपये की राशि प्रदान करती है। महिलाओं को 19 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए। यह आमतौर पर जन्म से 12-8 सप्ताह पहले दिया जाता है और बच्चे की मृत्यु के मामले में महिलाएं अभी भी इसका लाभ उठा सकती हैं। एनएमबीएस पंचायतों और नगर पालिकाओं की मदद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है। 1999-2000 के दौरान इस योजना के लिए धनराशि का कुल आवंटन 767.05 करोड़ था और उपयोग की गई राशि 4444.13 करोड़ रुपये थी। यह गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है। इस योजना को 2005-06 में जननी सुरक्षा योजना में प्रत्येक संस्थागत जन्म के लिए 1400 रुपये के साथ अपडेट किया गया था। पहली किस्त (गर्भावस्था के पहले तिमाही में) – 3,000 / –, गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण, अधिमानतः पहले तीन महीनों के भीतर। • एक प्रसवपूर्व चेक-अप प्राप्त हुआ। दूसरी किस्त- • संस्थागत वितरण के समय – 1500 / –, तीसरी किस्त (प्रसव के 3 महीने बाद) – 1500 / – • पंजीकृत होने के लिए बाल जन्म अनिवार्य है। • बच्चे को बीसीजी टीकाकरण मिला है। • बच्चे को ओपीवी और डीपीटी -1 और 2 प्राप्त हुआ है।
7. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली:- खाद्य समस्या एवं बढ़ती हुई कीमतों की रोकथाम के लिए भारत में खाद्य नीति एवं खाद्य व्यवस्था में सरकार की सक्रिय भागीदार की तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के समय से एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण आर्थिक राजकीय प्रणाली प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में चालू है। सन् 1939 में सबसे पहले बंबई में उचित मूल्य पर अनाज बेचने की व्यवस्था की शुरुआत हुई उसका उद्देश्य व्यापारियों में कालाबाजारी व कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति को पनपने से रोकना था। सन् 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 15 लाख लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गये, अतः 1943 के बंगाल के अकाल के कारण सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इनकी बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके, एवं जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर प्राप्त करने में सहायता की जा सके। दूसरे शब्दों में “सार्वजनिक वितरण प्रणाली से तात्पर्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति हेतु सार्वजनिक व्यवस्था से है। अनिवार्य वस्तुओं की उचित मूल्यों पर निरंतर पूर्ति बनाये रखने का दायित्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है, इस प्रणाली का सर्वोच्च लक्ष्य गरीबों की मदद करना है।” वर्तमान समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड पर चावल, गेहूँ, आयातित खाद्य तेल, चीनी, मिट्टी का तेल, बाजार से कम मूल्य पर एक निश्चित मात्रा में वितरित किया जाता है। भारत में सार्वजनिक वितरण

प्रणाली चलाने के लिए सरकार व्यापारियों तथा उत्पादकों से वसूली कीमतों पर वस्तुएं खरीदती है, एवं उसका वितरण उचित मूल्यों की दुकानों से राशन कार्ड के माध्यम से किया जाता है।

8. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) – यह लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके हर घर के लिए ग्रामीण परिवारों में आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी देता है।
9. आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) – यह गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा है। यह जनता के साथ-साथ निजी अस्पताल में भर्ती के लिए नकद रहित बीमा प्रदान करता है। पीली राशन कार्ड वाले सभी नीचे दिए गए गरीबी रेखा वाले परिवार ने अपने फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ युक्त बायोमेट्रिक-सक्षम स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए 30 रुपए के पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है।

वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकारों द्वारा किये गए प्रयास - विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का लक्ष्य गरीबी दूर करना नहीं बल्कि समृद्धि लाना होना चाहिये क्योंकि समृद्धि से ही गरीबी उन्मूलन संभव है। आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से वृद्धि कर रही है। लेकिन उच्च आर्थिक वृद्धि दर के बिना गरीबी कम नहीं हो सकती। आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रख कर सरकार द्वारा अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम, आय समर्थन कार्यक्रम, रोजगार गारंटी तथा आवास योजना आदि। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ऐसा ही एक कार्यक्रम है। यह योजना आर्थिक रूप से वंचित लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे- बचत खाता, बीमा, आवश्यकतानुसार ऋण, पेंशन आदि तक पहुँच प्रदान करती है। किसान विकास पत्र के माध्यम से किसान 1,000, 5000 तथा 10,000 रुपए मूल्यवर्ग में निवेश कर सकते हैं। इससे जमाकर्ताओं का धन 100 महीनों में दोगुना हो सकता है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) को ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत देश भर के गाँवों में लोगों को 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आय स्तर में वृद्धि का संबंध है, यह एक सफल कार्यक्रम साबित हुआ है। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में आवास सुविधा प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 20 लाख घर बनाना है जिसमें 65% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। योजना के अनुसार, जो लोग अपना घर बनाने में सक्षम नहीं हैं, उनको रियायती दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को रोजगार प्रदान कर उनके कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करना है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। गरीबी दूर करने संदर्भ नीति आयोग की रणनीति - 2017 में नीति आयोग ने गरीबी दूर करने हेतु एक विज्ञान डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया था। इसमें 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की गई थी। देश में गरीबों की सही संख्या का पता लगाया जाए। गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएँ लाई जाएँ। लागू की जाने वाली योजनाओं की मॉनीटरिंग या निरीक्षण किया जाए। पर आजादी के 70 साल बाद भी गरीबों की वास्तविक संख्या का पता नहीं चल पाया है। देश में गरीबों की गणना के लिये नीति आयोग ने अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में एक टास्क फ़ोर्स का गठन किया था।

2016 में इस टास्क फ़ोर्स की रिपोर्ट आई जिसमें गरीबों की वास्तविक संख्या नहीं बताई गई। टास्क फ़ोर्स ने इसके लिये एक नया पैनल बनाने की सिफारिश की और सरकार ने सुमित्र बोस के नेतृत्व में एक समिति गठित की जिसकी रिपोर्ट मार्च 2018 में प्रस्तुत की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना को आधार बनाकर देश में गरीबों की गणना की जानी चाहिये। इसमें संसाधनहीन लोगों को शामिल किया जाए तथा जो संसाधन युक्त हैं, उन्हें इसमें शामिल न किया जाए।

नीति आयोग ने गरीबी दूर करने के लिये दो क्षेत्रों पर ध्यान देने का सुझाव दिया-पहला योजनाएँ तथा दूसरा MSME। देश में वर्कफ़ोर्स के लगभग 8 करोड़ लोग MSME क्षेत्र में काम करते हैं तथा कुल वर्कफ़ोर्स के 25 करोड़ लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। अर्थात् कुल वर्कफ़ोर्स का 65 प्रतिशत इन दो क्षेत्रों में काम करता है। वर्कफ़ोर्स का यह हिस्सा काफी गरीब है और गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। यदि इन्हें संसाधन मुहैया कराए जाएँ, इनकी आय दोगुनी हो जाए तथा मांग आधारित विकास पर ध्यान दिया जाए तो शायद देश से गरीबी खत्म हो सकती है।

निष्कर्ष- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2018 (Multidimensional Poverty Index-MPI) के मुताबिक, 2005-06 तथा 2015-16 के बीच भारत में 270 मिलियन से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले और देश में गरीबी की दर लगभग 10 वर्ष की अवधि में आधी हो गई है। भारत ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस प्रकार दस वर्षों के भीतर, भारत में गरीब लोगों की संख्या 271 मिलियन से कम हो गई जो कि वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले कुछ सालों में भारत में गरीबी दूर करने की दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है। पिछले आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 22 प्रतिशत भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भारत की अधिकांश आबादी अभी भी गाँवों में रहती है। हालाँकि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रवासन हुआ है लेकिन भारत की लगभग 68% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हालाँकि गरीबी समय के साथ कम होती रही है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक रही है। शहरी क्षेत्रों की 13.7% की तुलना में आज भी ग्रामीण भारत की लगभग 26% आबादी गरीब है। रंगराजन समिति के अनुमान भी इस बात के संकेत देते हैं कि 2011-12 में ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत शहरी गरीबी से अधिक था और यह लगभग 31% थी। आज़ादी के 70 साल बाद भी गाँव सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण के लगभग हर पहलू पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। भारत ने समृद्ध शहरों और गरीब गाँवों की अर्थव्यवस्था बनाई है जिससे शहरी क्षेत्रों में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट आ रही है। केंद्र में मौजूदा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई जिसका प्राथमिक उद्देश्य "सब का साथ सबका विकास" था। शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की बढ़ती खाई को पाटने के लिये अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

प्रो अर्मत्य सेन ने लिखा है कि आज के विश्व में एक और कल्पनातीत समृद्धि है वहीं दूसरी ओर सम्पन्न और गरीब देशों में रहने वाले करोड़ों व्यक्ति अप्रत्यक्षत गुलामी का जीवन जी रहे हैं। गरीबी के कुचक्र में फसी आबादी आज भी देश के तेज विकास में उस तरह का हिस्सेदार नहीं बन सकी है जिसकी बेहद जरूरत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिये ऐसा न्यायसंगत समाज विकसित करने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। जिसमें गरीब व्यक्ति के जीवन की कम से कम मूलभूत आवश्यकताओं

की पूर्ति अवश्य हो सके, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके इसका मुख्य कारण गलत नियोजन नीति एवं औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध न होना रहा है।

अंततः गरीबी देश के लिये बहुत बड़ी समस्या है। इसे खत्म करने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिये। हमारी सरकार देश के विकास के लिये कदम उठा रही है। गरीबी उन्मूलन अर्थव्यवस्था और समाज की एक सतत् और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करेगा। हम सभी को देश से गरीबी दूर करने हेतु किये जा रहे प्रयासों में हरसंभव मदद के लिये तैयार रहना चाहिये।

सुझाव- गरीबी के हर रूप को हर जगह से मिटा देना 2030 के सतत् विकास एजेंडा का पहला लक्ष्य है। इसके लिए सामाजिक संरक्षण देना, बुनियादी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना और प्राकृतिक आपदाओं का असर सहने की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि उनके कारण लोगों के संसाधनों और आजीविका को भारी नुकसान होता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सतत् विकास एजेंडा 2030 के माध्यम से इस बात पर सहमति दी है कि आर्थिक वृद्धि समावेशी होनी चाहिए, खासकर इसमें गरीबों और सबसे लाचार वर्गों को स्थान मिलना चाहिए और उनका उद्देश्य अगले 15 वर्ष में हर जगह, हर व्यक्ति के लिए निपट गरीबी को जड़ से मिटा देने का है।

संदर्भ-

1. <https://www.drishitias.com/hindi/loksabha-rajyasabha-discussions/eradicating-poverty>
2. विकिपीडिया
3. नदीम हसनैन- समकालीन भारतीय समाज